न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, शाहजहाँपुर।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1477/2026</u>

रामसिंह पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सिमरिया सहसपुर थाना कांट, जिला शाहजहांपुर।

......प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,

मु0अ0सं0–644/2022,
धारा–138(1)(बी)विद्युत अधिनियम
थाना–ए0पी0टी0, जिला–शाहजहॉपुर।

<u>आदेश</u>

दिनांक–03.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रामसिंह की ओर से अन्तर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम जिला शाहजहॉपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, रंजिशन विनाह पर झूठा फंसाया गया है। उसने कोई विद्युत चोरी नहीं की है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (विद्युत) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा बिजली की चोरी की जा रही थी। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी पर जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से विद्युत का उपभोग किया जाना बताया गया है। प्रार्थी पूर्व से अंतरिम जमानत पर था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है।

प्रार्थी द्वारा एक नवीन व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर तथा पूर्व में दाखिल प्रतिभू पर ही उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, शाहजहॉपुर।

Digitally signed by SHIV KUMAR
Date: 2026.07.10 16:02:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court